महत्वपूर्ण / तत्काल

फैक्स / ई–मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–9, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या :– 759 / 9–19 / 2017, दिनांक 07 जून, 2017

विषयः **प्रदेश के राजस्व ग्रामों की सीमाओं पर अवस्थित सीमा स्तम्भों की कोडिंग, भौतिक सत्यापन, मरम्मत / पुनर्स्थापना / स्थापना एवं उनके अक्षांश एवं देशान्तर (Latitude and Longitude) का निर्धारण कर उसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत होंगें कि राजस्व संहिता–2006 (यथा संशोधित) की धारा–20 एवं राजस्व संहिता नियमावली–2016 के नियम–16 के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है–

धारा–20– '' सीमा का निर्धारण और सीमांकन– (1) राज्य में समस्त ग्रामों की और किसी ग्राम में समस्त सर्वे गाटा संख्याओं की सीमाएं सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जायेंगी।''

नियम–16 (1)– '' राज्य सरकार भू–मण्डलीय स्थिति प्रणाली (जी0पी0एस0) अथवा किसी अन्य उपलब्ध विकसित आधुनिक तकनीक के अनुसार प्रत्येक ग्राम के मानचित्र का अंकीकरण, सीमा का स्थिरीकरण और खम्भों एवं अन्य मानकों को स्थापित कराने का प्रयास करेगी।''

इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ के समक्ष योजित अवमानना याचिका संख्या–1109 (सी) / 2016 श्रीमती कुतुबन्निशा बनाम श्री राजशेखर जिलाधिकारी लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 में सम्पूर्ण प्रदेश में

निर्धारित विशिष्टताओं के सीमाचिन्ह लगवाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में परिषद पत्र संख्या–520/9–50/2016, दिनांक 01–05–2017 द्वारा अपने–अपने जनपदों में सभी विलुप्त सीमा स्तम्भों का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सीमा स्तम्भों की मरम्मत कराने हेतु प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में मा0 राजस्व परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सीमा स्तम्भों के सम्बन्ध में चार चरणों में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय–

प्रथम चरण– प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त ग्रामों की सीमाओं पर स्थित सीमा स्तम्भों की कोडिंग कराकर प्रत्येक सीमा स्तम्भ के लिए 18 अंक का एक यूनिक नम्बर, नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारत किया जायेगा, जिसकी सूचना परिषद की वेबसाइट (bor.up.nic.in) पर उपलब्ध लिंक **"सीमा स्तम्भों का चिन्हांकन"** पर दिनांक 31–07–2017 तक फीड करायी जायेगी।

द्वितीय चरण– सीमा स्तम्भों की कोडिंग के उपरान्त द्वितीय चरण में सभी सीमा स्तम्भों का भौतिक सत्यापन कराकर उनकी वर्तमान स्थिति (उपलब्ध/क्षतिग्रस्त/अनुपलब्ध) स्पष्ट की जायेगी तथा सभी सीमा स्तम्भों की फोटो भी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध उक्त लिंक पर दिनांक 31–08–2017 तक अपलोड करायी जायेगी।

तृतीय चरण– सभी सीमा स्तम्भों के भौतिक सत्यापन के पश्चात तृतीय चरण में सभी सीमा स्तम्भों की आवश्यकतानुसार मरम्मत/पुनर्स्थापना/स्थापना का कार्य दिनांक 31–10–2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जायेगा।

चतुर्थ चरण– भौतिक सत्यापन एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत/पुनर्स्थापना/स्थापना की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात चतुर्थ चरण में सभी सीमा स्तम्भों के अक्षांश एवं देशान्तर (Latitude and Longitude) का निर्धारण कर उसे परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर दिनांक 31–12–2017 तक अपलोड कराया जायेगा।

ग्रामों की सीमाओं पर स्थित सीमा स्तम्भों की कोडिंग की प्रक्रिया–

कोई भी सीमा स्तम्भ किन्ही दो, तीन अथवा चार ग्रामों की सीमा पर स्थित हो सकता है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद में तहसीलवार राजस्व ग्रामों के जनगणना ग्राम

कोड पहले से ही निर्धारित हैं एवं परिषद की वेबसाइट (http://upbhulekh.gov.in) पर देखे जा सकते हैं। अतः प्रत्येक राजस्व ग्राम में सीमा स्तम्भों की कोडिंग के सम्बन्ध में निम्नवत प्रक्रिया अपनायी जाय :–

सर्वप्रथम आसन्नवर्ती (Adjacent) ग्रामों, जिनकी सीमा पर सीमा स्तम्भ अवस्थित है, में से सबसे कम जनगणना ग्राम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम का कोड (6 अंक) लिया जाय। इसके पश्चात सीमा स्तम्भ के आसन्नवर्ती दूसरे राजस्व ग्राम का कोड (6 अंक) लिया जाय, जिसका कोड प्रथम ग्राम से अधिक किन्तु तृतीय ग्राम, यदि कोई है, से कम हो। इसके पश्चात उक्त दोनों राजस्व ग्रामों में से न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले ग्राम के कम अंक वाले गाटा संख्या (4 अंक), जिसकी सीमा पर स्तम्भ स्थित है, उसका नम्बर लिया जाय तथा सबसे अन्त में सीमा स्तम्भ का क्रमांक (2 अंक) लिखा जाय। इस प्रकार उस सीमा स्तम्भ का 18 अंक का यूनीक कोड बन जायेगा।

इसी प्रकार अगले स्तम्भ की कोडिंग के लिए न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम के अगले गाटा संख्या, जिसमें कि अगला स्तम्भ स्थित है, के लिये उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनायी जाय। इस प्रक्रिया को नीचे दिये गये उदाहरणों में स्पष्ट किया गया है।

उदाहरणस्वरूप माना ग्राम 'क', 'ख', 'ग', 'घ' एवं 'ड़' (यथा संलग्न भू–चित्रानुसार) सीमावर्ती ग्राम हैं, जिनमें से माना ग्राम 'क' का ग्राम कोड–108886, ग्राम 'ख' का ग्राम कोड–108887, ग्राम 'ग' का ग्राम कोड–108888, ग्राम 'घ' का ग्राम कोड–108889 एवं ग्राम 'ड़' का ग्राम कोड–108890 हो, तब न्यूनतम ग्राम कोड वाला ग्राम, ग्राम–'क' हुआ तथा उक्त ग्राम की सीमा पर न्यूनतम गाटा क्रमांक 107 पर सीमा स्तम्भ–ए अवस्थित है। इस प्रकार सीमा स्तम्भ–ए को स्तम्भ संख्या–01 मानते हुए कोडिंग का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, उक्त सीमा स्तम्भ–ए तीन ग्रामों यथा 'क', 'घ' एवं 'ड़' की सीमा पर स्थित है, जिनमें से न्यूनतम क्रमांक कोड वाला ग्राम, ग्राम–'क' एवं उसके पश्चात कम क्रमांक कोड वाला ग्राम, ग्राम–'घ' है, तदनुसार –

कम क्रमांक वाले ग्राम का कोड	आसन्नवर्ती दूसरे ग्राम (द्वितीय कम क्रमांक कोड वाला ग्राम) का कोड	न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले ग्राम का कम अंक वाला गाटा संख्या जिसकी सीमा पर स्तम्भ स्थित है	स्तम्भ की संख्या
108886	108889	0107	01

इस प्रकार **सीमा स्तम्भ–ए का कोड– 108886–108889–0107–01** होगा। अगले क्रम में ग्राम 'क' की सीमा पर अगली न्यूनतम गाटा संख्या वाला सीमा स्तम्भ–बी अवस्थित है जिसका आसन्नवर्ती दूसरा ग्राम, ग्राम 'ग' है। उक्त स्तम्भ को स्तम्भ संख्या–02 मानते हुए

सीमा स्तम्भ–बी का कोड– 108886–108889–0107–02,

इसी प्रकार **सीमा स्तम्भ–सी का कोड– 108886–108888–0119–03,**

सीमा स्तम्भ–डी का कोड– 108886–108888–0119–04,

सीमा स्तम्भ– ई का कोड– 108886–108887–0119–05,

सीमा स्तम्भ–एफ का कोड– 108886–108887–0129–06 होगा।

एक ग्राम के सभी स्तम्भों की कोडिंग पूर्ण हो जाने के उपरान्त अन्य ग्रामों में पुनः यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। अगले ग्राम के जिन स्तम्भों की कोडिंग कम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम (जैसे ग्राम–'क') के साथ हो चुकी हो, उनको छोड़ते हुए अन्य स्तम्भों को पुनः 01 से संख्या देते हुए कोडिंग की जायेगी। उल्लेखनीय है कि गाटा संख्या को चार अंकों में ही लिखा जाना है, जैसे गाटा संख्या–1 को कोडिंग में 0001 लिखा जायेगा। इसी प्रकार स्तम्भ के क्रमांक को भी दो अंकों में यथा 01, 02 या 03 आदि लिखा जायेगा।

प्रत्येक ग्राम के सम्बन्धित लेखपाल यह सुनिश्चित करते हुए अपने राजस्व निरीक्षक की देखरेख में अपने आसन्नवर्ती ग्राम के लेखपाल से समन्वय स्थापित करते हुए सीमा चिन्हों की कोडिंग करेंगें। यह कार्यवाही आसन्नवर्ती गांव, जो चाहे दूसरी तहसील या दूसरे जनपद में पड़ता हो, सम्बन्धित ग्राम के लेखपाल से समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक सीमा स्तम्भ की कोडिंग यूनीक होगी और एक ही बार की जायेगी।

इस प्रकार प्रत्येक ग्राम, तहसील और जनपदों में स्थित प्रत्येक ग्राम सीमा चिन्ह का एक यूनिक कोड नं0 बन जायेगा, जिसकी यथावश्यकता मरम्मत/पुनर्स्थापना/स्थापना कराते हुये उनके अक्षांश एवं देशान्तर (Latitude and Longitude) का निर्धारण किया जायेगा। सीमा स्तम्भों के अक्षांश एवं देशान्तर (Latitude and Longitude) का निर्धारण हो जाने के उपरान्त भविष्य में प्रदेश के राजस्व ग्रामों में स्थित भू–खण्डों/गाटों की आधुनिक तकनीकी यन्त्रों के माध्यम से पैमाइश किये जाने में सुविधा होगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भारत सरकार की एन0एल0आर0एम0पी0 (National Land Records Management Programme) योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों

के भू–मानचित्रों/शजरों आदि के डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है तथा सीमा स्तम्भों की Geo-referencing हो जाने के उपरान्त प्रत्येक भू–खण्ड/गाटे के सही–सही अक्षांश एवं देशान्तर (Latitude and Longitude) निर्धारित करना भी संभव हो सकेगा तथा प्रत्येक गाटे की सही सीमायें व क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकेगा। आशा की जाती है कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त सीमा सम्बन्धी विवादो का स्थायी रूप से समाधान हो सकेगा व वर्षों लम्बित रहने वाले लाखों सीमा विवादो में भी कमी आयेगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार राजस्व ग्रामों की सीमाओं पर अवस्थित सीमा स्तम्भों की कोडिंग, भौतिक सत्यापन, मरम्मत/पुनर्स्थापना/स्थापना एवं उनके अक्षांश एवं देशान्तर (Latitude and Longitude) का निर्धारण कर उसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

7/6/17

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–9/5, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त प्रभारी अधिकारी, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5– गार्ड फाइल हेतु।

7/6/2017

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

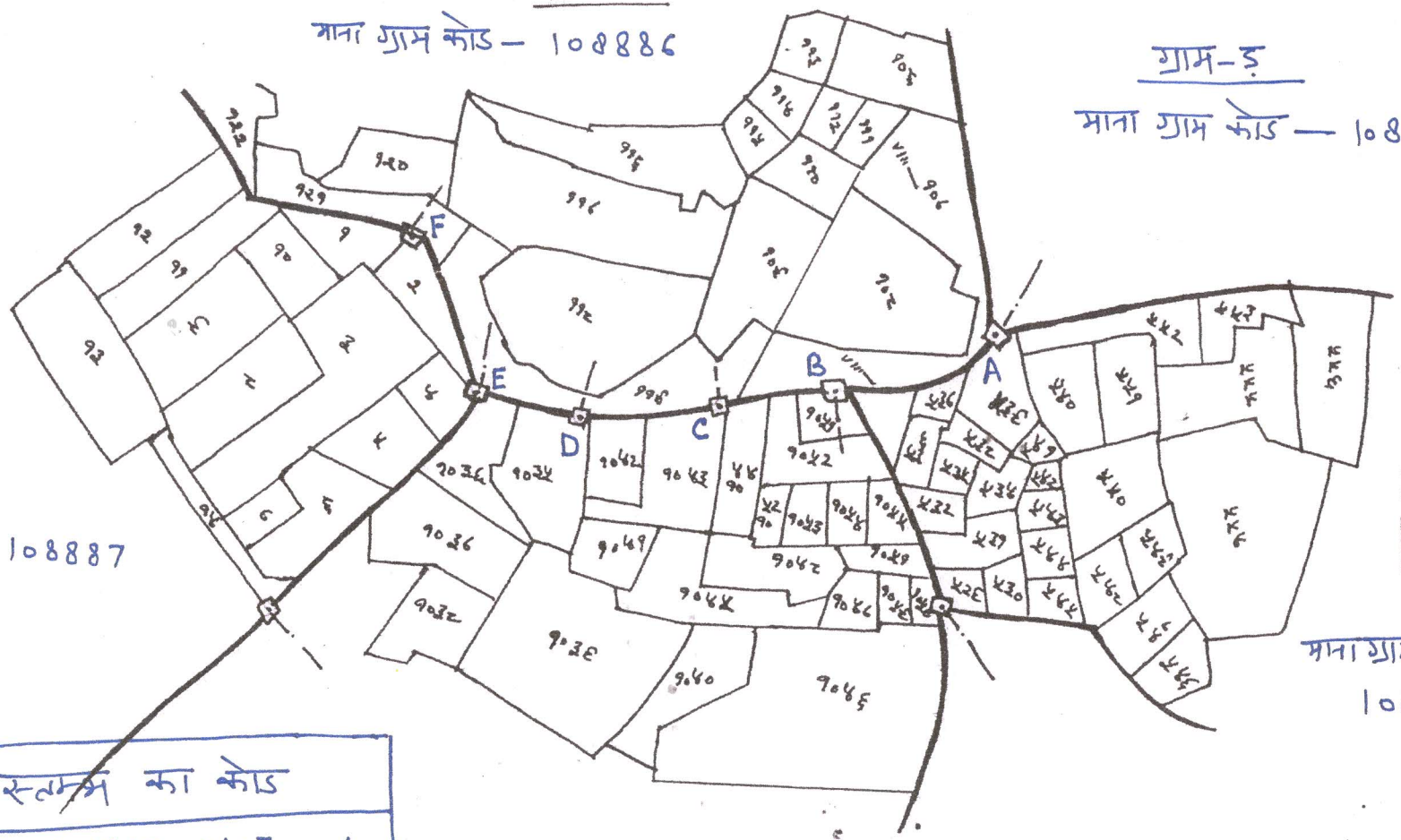

स्तम्भ	स्तम्भ का कोड
A	108886-108889-0107-01
B	108886-108889-0107-02
C	108886-108888-0119-03
D	108886-108888-0119-04
E	108886-108887-0119-05
F	108886-108887-0129-06

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त